

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 (आषाढ 31, 1948)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2024-2025 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-1 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन),
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी की स्थापना एवं कार्यप्रणाली तथा कामकाजी महिला वसतिगृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्ता पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-3 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल), एवं
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-5 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल), तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 95वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम नियम, 1974 की कंडिका 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक:- 1016 / मप्रविनिआ / 2026 भोपाल, दिनांक 18 जून, 2026 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार -

- जिला खनिज प्रतिष्ठान, डिण्डौरी, म.प्र. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024,
- जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला हरदा, बालाघाट, सिंगरौली, कटनी एवं उज्जैन के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं
- जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला रायसेन, सीहोर, नीमच एवं बालाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(7) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखेंगी.

(8) श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(9) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत महमूदपुर विकासखण्ड गंगेव में हुये वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री बाला बच्चन, सदस्य, राजपुर विधान सभा क्षेत्र में भूमि का अवैधानिक अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर संभागीय मुख्यालय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड बैंक व आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (4) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, कटनी जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (5) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य, प्रदेश की देवास-भोपाल-लेबड-जावरा और जावरा-नयागांव टोल पर लागत से अधिक वसूली किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (6) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा रतलाम जिले के स्वर्ण सागर कॉलोनी में कराये गये विद्युतीकरण कार्यों का भुगतान रोके जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (7) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले की टमस नदी में बसामनमामा के पास चैकडेम का कार्य प्रारंभ न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (8) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर नगर में बस स्टैंड भवन में वैध किरायेदार/दुकानदारों को दुकान आवंटित न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (9) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला गुना में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषियों पर कार्रवाई न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (2) श्री अरूण भीमावद, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचदश विधान सभा के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों संबंधी षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (3) श्रीमती ललिता यादव, सभापति, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास का भवन स्वीकृत कराये जाने,
- (2) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले अंतर्गत चंदनपुरा की पुलिया से बदरपुरा स्कूल तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (3) श्री विवेक विहारी पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत गर्रा अंतर्गत गर्राटोला से झाड़गांव पहुंच मार्ग का मरम्मतकरण कराये जाने,
- (4) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम ठरकाखेडा से पिपरिया मार्ग मय पुलिया/पुल निर्माण कराये जाने,
- (5) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत भटेरा व मोहगांव में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (6) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत नयाखेरा में सड़क निर्माण कराये जाने,
- (7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ अंतर्गत मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में गीता/मंगल भवन बनाये जाने,
- (8) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य, देवास जिले के जामनेर और रेहटी मार्ग के नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत आसपुर अंतर्गत कुक्षी में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (10) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के बिल्थारी-कोठिया मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य, झाबुआ जिले के बावडी पाल से तोरनिया डेवर रोड तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (12) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर मालवा जिले के ग्राम मंगीसपुर से गोपालपुरा व्हाया गणेशपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

- (13) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मेंढकी से कोकट तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम नगरी में कबड्डी खिलाड़ियों हेतु कबड्डी मेट प्रदाय किये जाने,
- (15) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम बापचा व भालूसेडा में नर्मदा पाईप लाईन डाले जाने,
- (16) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत रूपारेल एवं अन्य प्राथमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराये जाने,
- (17) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खामी से कातोरली के मध्य नेहरा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (18) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के गुनौर अंतर्गत सलेहा तिराहा से बोरी की पुलिया तक नाली निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के पास सोन नदी के दोनों तटों में घाट निर्माण एवं सोनाचल पर्यटन केन्द्र विकसित कराये जाने,
- (20) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गहराते पेयजल संकट एवं सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने,
- (21) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत खैरा न. 03 शासकीय विद्यालय में 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जाने,
- (22) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम अमनकुआ अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद नगर में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, अशोकनगर जिले के मुंगावली शहर में रेल्वे स्टेशन से ईमली चौराहे तक सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री सुनील उईके, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के डोरली से बिछुआ (केवलारी) तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (25) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बीजापुरी से पिपल्यागोई रास्ते में खरते फल्या तक पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (26) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत जोतपुर में पेरखड रोड से सेमल्दा फाटे तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम पाचपुलां उत्तर में शास. हाई स्कूल स्वीकृत कराये जाने,
- (28) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले की ग्राम पंचायत सांगवी रविन्द्र के खेत के पास पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (29) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम लटागांव शिवमंदिर से मुन्ना पाठक के घर तक पी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,
- (30) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के भगवानपुरा एवं सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन कराये जाने,
- (31) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बिरमावल के इमलीपाडा में नवीन आंगनवाड़ी खोले जाने,
- (32) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिला मुख्यालय में शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापित कराये जाने,
- (33) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर अंतर्गत सी.एम.मॉनिट में सम्मिलित सड़क मार्गों की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (34) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम कराडिया महाराज से सोकडी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (35) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के नाम से बेनामी सम्पत्ति अंतरित किये जाने,
- (36) श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के भानपुरा में इन्द्रगढ़ आश्रम टीनशेड (डोम) पेवर ब्लॉक एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने,
- (37) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के अहिरगांव मोड से छिरहा नाला-हनुमानगंज होते हुये 2 लेन सड़क निर्माण कराये जाने,
- (38) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम गनेशपुरा में शा.मा. शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
- (39) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम सलकनखेड़ी में देवनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

- (40) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के पिपलौदा के ग्राम आंबा व उम्मेदपुरा में जनजातीय छात्रावास प्रारंभ कराये जाने,
- (41) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गंजसिजारी में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (42) श्री श्याम बरडे, सदस्य, बड़वानी जिले के टेमला में शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
- (43) श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम पोंडी को विद्युत वितरण केन्द्र नेबुहा से पृथक कर बहरी में जोड़े जाने,
- (44) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के भितरवार अंतर्गत ग्राम धोवट की नोन नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,
- (45) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम भमरा से बजवारा तक पहुंच मार्ग पर पुल एवं सकरवट में करियारी नदी पर रपटा व रोड निर्माण कराये जाने,
- (46) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम पचीपुरा में प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम के लिये राशि स्वीकृत कराये जाने,
- (47) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-19 के अंतर्गत आने वाली गली नं.1, गायत्री विहार, जडेरूआ गेट, पिन्टू पार्क में सड़क निर्माण कराये जाने,
- (48) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम जेरई के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
- (49) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम धवा की आदिवासी बस्ती में सीमेंट कॉन्क्रीट रोड निर्माण कराये जाने,
- (50) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव, सदस्य, खरगोन जिले के सगुर मुख्य मार्ग मोटीमाता मंदिर से भोपाडा तक सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (51) श्री केशव देसाई, सदस्य, भिण्ड जिले की रतवा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (52) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे, सदस्य, खण्डवा जिले के पंधाना अंतर्गत बोरगांव सहित अन्य ग्रामों में नवीन सांदीपनी विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (53) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम जंजारीपुरा में पूरे गांव के पानी की निकासी एवं आम रास्ते वाली शास. भूमि पर दबंगों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को हटाये जाने,
- (54) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले की ग्राम पंचायत धनेला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (55) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम हिरदेपुर तक की पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (56) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी में बेंट संस्था जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (57) श्री गौरव सिंह पारधी, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम तिरोडी में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (58) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.61 अंतर्गत डोंगरपुर मर्सीहोम मेन रोड से रमौआ हाईवे तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (59) श्री सचिन बिरला, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम नलवा से बिराली तक कच्चे/जर्जर मार्ग पर पक्का डामरीकरण रोड निर्माण कराये जाने,
- (60) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, पुराने भोपाल शहर में माँडल स्कूल के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (61) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की सिरोंज कृषि उपज मण्डी के मुख्य प्रांगण में डामरीकरण कराये जाने,
- (62) श्रीमती प्रियंका पैँची, सदस्य, गुना जिले के चांचौडा अंतर्गत बीनागंज से देहरी तक मार्ग का दोहरीकरण कराये जाने,
- (63) श्री बाबू जन्डेल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम प्रेमसर से बिठूलपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (64) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम कुकराबद से रन्हाई एवं केलनपुर से पहतगांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (65) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पुरोहितन का पुरा से जोमदार पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (66) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम बेलाघाटी मंदिर के पास ब्हाया खोमरहा रानी काप हिनौती पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1300) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय	7. शासकीय विधि विषयक कार्य
30 मि.	(1) श्री गौतम डेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(2) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(3) श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
1 घण्टा	(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 16 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
15 मि.	(6) श्री गौतम डेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

1 घण्टा	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे – “दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात हजार चार सौ पचपन करोड़, छिहत्तर लाख, पचपन हजार, चौवन रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.”
---------	---

9. शासकीय वित्त विषयक कार्य

	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
--	--

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2026

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

* अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.